



JALAUN POLICE

दिनांक – 06.08.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रेढ़र पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 58/2025 धारा 310(2)/311 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 20.07.2025 को वादी द्वारा थाना रेढ़र में तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की माँ के ऊपर धारदार हथियारों व डण्डों से प्राणघातक हमला कर दिया तथा गले में पड़ी सोने के चैन एवं करीब 01 लाख रुपये ले गये हैं। वादी की तहरीर के आधार पर थाना रेढ़र में मु0अ0सं0 58/25 धारा 310(2)/311 बीएनएस बनाम 04-05 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 06.08.2025 को थाना रेढ़र पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए, घटना में शामिल अभियुक्त सलीम खाँ उर्फ वोटू पुत्र गोली उर्फ गुलाब नि0 ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा को वृहद ग्राम भगवन्तपुरा, बम्बा नहर के पास से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रेढ़र पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है एवं अभियुक्त के बयानों के आधार पर थाना रेढ़र पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/25 धारा 310(2)/311 बीएनएस से धारा 309(6) बीएनएस में तरमीम किया गया। विवेचना से अभियुक्तगण 1. सलीम खाँ उर्फ वोटू पुत्र गोली उर्फ गुलाब नि0 ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा 2. रामकरन उर्फ कबरा पुत्र कल्लू नि0 ग्राम लिलबाही थाना कबरई जनपद महोबा 3. संजय पुत्र मजीद नि0 ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा का नाम प्रकाश में आया है। जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथी रामकरन उर्फ कबरा पुत्र कल्लू नि0 ग्राम लिलबाही थाना कबरई जनपद महोबा व संजय पुत्र मजीद नि0 ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा का इंतजार कर रहा था जो अभी आये नहीं है। हम तीनों लोगों ने पिछले महीने ग्राम ईगुई में रात्रि में एक घर में चोरी करने के लिए घुसे थे, उस घर में सो रही औरत हम लोगो की आहट पाकर जाग गयी थी तब हम सभी लोगो ने उसके साथ मारपीट कर दी थी तथा जब गांव में प्रभात फेरी की घण्टी की आवाज सुनी तब हम लोगो ने समझा कि गाँव के लोग जाग गये हैं, तब हम तीनों लोग रुपये पैसे व जेवरात की चोरी किये बिना उसके घर से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1. सलीम खाँ उर्फ वोटू पुत्र गोली उर्फ गुलाब उम्र करीब 48 वर्ष नि0 ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त सलीम खां उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 56/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना कालपी जिला जालौन
2. मु0अ0सं0 18/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डकोर जिला जालौन
3. मु0अ0सं0 92/22 धारा 380/411 भादवि थाना डकोर जिला जालौन
4. मु0अ0सं0 105/22 धारा 395/412/459 भादवि थाना डकोर जिला जालौन
5. मु0अ0सं0 150/23 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना डकोर जिला जालौन
6. मु0अ0सं0 67/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेंदर जिला जालौन
7. मु0अ0सं0 58/25 धारा 309(6) बीएनएस थाना रेंदर जिला जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष रेंदर मय पुलिस टीम ।